बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या–1/प्रा0आ0–0–3–31/14/......................./आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

।। अधिसूचना ।।

बाढ़ अवधि में किसी व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंश से होने पर आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–68/सा0पुन0 दिनांक–06.08.2002 एवं 4187/आ0प्र0 दिनांक–24.11.2014 के आलोक में प्राकृतिक आपदा (बाढ़) जनित कारण मानते हुए मृतक के निकटतम परिजन को राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) से निर्धारित साहाय्य मानदर के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है, परन्तु बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सर्पदंश से होने वाली मृत्यु में अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग से सम्प्रति अनुमान्य नहीं है।

2. बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सामान्य समय में भी राज्य में सर्पदंश की घटनाएँ घटित होती रहती है एवं इससे होने वाली मृत्यु के मामले में अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन विभाग में जनशिकायत, ''जनता दरबार में मुख्यमंत्री'' कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन एवं माननीय जनप्रतिनिधियों से भी पत्र प्राप्त होते रहते हैं।

3. उक्त परिपेक्ष्य में राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक–07.03.2022 के बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में राज्य में बाढ़ के दौरान बाढ़ जनित कारणों से सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा (Local Disaster) में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष (NDRF) से संबंधित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जायेगा।

यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव

ज्ञापांकः– 1/प्रा0आ0–0–3–31/14/..................../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव

ज्ञापांकः– 1/प्रा0आ0–0–3–31/14/...1213..../आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–24.03.2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मा0 उप मुख्य (आपदा प्रबंधन) मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/3

सचिव

D:\2022\Rajnish Ji\Local Disaster\2022-03-14 Notification.docx